R.C.T.No.255/2017
State of MP Vs Vishnu Maravi

न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी, जिला—डिण्डौरी (म0प्र0)

(समक्ष : श्रीमती कमला उइके)

Reg./Case No.RCT/ 255/ 2017
Filing No.:- RCT /561/ 2017
CNR No.:-MP5201-000747/2017
Filing Date :20/03/2017

//निर्णय//

(आज दिनांक 13.08.2026 को घोषित)

{पुलिस आरक्षी केन्द्र कोतवाली/डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 62/2017 अन्तर्गत धारा 279, 337(7 काउंटस) 338 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 66/192(क), 146/196 से उद्भुत प्रकरण।}

परिवादी	म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र डिण्डौरी, जिला—डिण्डौरी (मध्य प्रदेश),
प्रतिनिधित्व द्वारा	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी,
अभियुक्तः—	विष्णु मरावी पिता श्रीराम मरावी उम्र—42 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 4 बड़ा सुबखार डिण्डौरी, थाना डिण्डौरी, जिला—डिण्डौरी (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कैलाश दाहिया अधिवक्ता।

अपराध की तिथि	03.02.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	04.02.2017
आरोप पत्र की तिथि	20.03.2017
आरोपों के विरचना की तिथि	16.08.2017
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथि	12.10.2017
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	12.08.2017
निर्णय की तिथि	12.08.2017
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	—

R.C.T.No.255/2017
State of MP Vs Vishnu Maravi

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किए जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दप्रसं के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध अवधि
1	विष्णु मरावी	06.02.17	06.02.17	धारा 279, 337 (7 काउंट), 338 भा.दं. सं. एवं 66/192क 146/196,	दोषमुक्त	कुछ नहीं	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

स.क्र.	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
1.	भागवती {अ.सा.1}	अभियोजन साक्षी
2.	नरबदिया बाई {अ.सा.2}	अभियोजन साक्षी
3.	चमेली बाई {अ.सा.3}	अभियोजन साक्षी
4.	कोदूलाल {अ.सा.4}	अभियोजन साक्षी
5.	प्रवीण खम्परिया {अ.सा.5}	विवेचक साक्षी
6.	देवेन्द्र सिंह मरकाम {अ.सा.6}	चिकित्सक साक्षी
7.	विद्या बाई {अ.सा.7}	अभियोजन साक्षी
8.	पूजा गौतम {अ.सा.8}	अभियोजन साक्षी

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की की सूची

स. क्रं.	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्र.पी.1 / अ.सा.4	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2.	प्र.पी.2 / अ.सा.4	मौका नक्शा
3	प्र.पी.3 / अ.सा.4	धारा 133 एम.व्ही.एक्ट का नोटिस
4	प्र.पी.4 / अ.सा.4	जप्ती पत्रक
5	प्र.पी.5 / अ.सा.5	गिरफ्तारी पत्रक
6	प्र.पी.6 / अ.सा.6	जप्ती पत्रक
7	प्र.पी.7 / अ.सा.6	मेडिकल रिपोर्ट
8	प्र.पी.8 / अ.सा.6	मेडिकल रिपोर्ट
9	प्र.पी.9 / अ.सा.6	मेडिकल रिपोर्ट
10	प्र.पी.10 / अ.सा.6	मेडिकल रिपोर्ट
11	प्र.पी.11 / अ.सा.6	मेडिकल रिपोर्ट
12	प्र.पी.12 / अ.सा.6	मेडिकल रिपोर्ट
13	प्र.पी.13 / अ.सा.6	मेडिकल रिपोर्ट
14	प्र.पी.14 / अ.सा.6	मेडिकल रिपोर्ट
15	प्र.पी.15 / अ.सा.6	मेडिकल रिपोर्ट
16	प्र.पी.16 / अ.सा.6	मेडिकल रिपोर्ट

01. **अभियुक्त विष्णु मरावी** पर यह आरोप है कि, उसने दिनांक 03.02.2017 को समय 11:00 बजे आरक्षी केन्द्र डिण्डौरी के अंतर्गत ग्राम खाम्हा के लोक मार्ग पर वाहन ऑटो क्रमांक एम.पी.52 आर0 / 0829 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुये सामने से आ रहे ऑटो में टक्कर मारकर उसमें बैठे सवारियों एवं आम लोगों का मानव जीवन संकटापन्न कारित करने, उक्त ऑटो को उपेक्षा अथवा

उतावलेपन से चलाते हुये सामने से आ रहे ऑटो में टक्कर मारकर उसमें बैठे आहत रामबाई, चमेलीबाई, धानूसिंह, नरबदिया, विद्याबाई, विपिन एवं पूजा को साधारण उपहति कारित करने, उक्त ऑटो को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुये सामने से आ रहे ऑटो में टक्कर मारकर उसमें बैठे आहत भागरती को गंभीर उपहति कारित करने, उक्त वाहन को परमिट के बिना एवं बीमा के बिना चलाया।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है, कि फरियादी कोदूलाल निवासी ग्राम खाम्हा का थाना उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज करवाया कि दिनांक 03.02.2017 के करीब 11:30 बजे उसे सूचना मिली कि उसकी लड़की भागवती तथा रामबाई एवं गांव के अन्य लोग नरबदिया बाई, विद्याबाई, रूकमणी, पूजा आदि कुल 07 लोगों का ऑटो से एक्सीडेंट हो गया है, तब वह जिला अस्पताल डिण्डौरी आकर देखा तो उसकी लडकी भागवती बाई के दाहिने हाथ में एवं दोनों पैर एवं उसकी मॉ रामबाई के माथे पर तथा अन्य लोगों को भी चोटे आयी थी। उसकी लडकी भागवती बाई एवं अन्य लोग बताये कि एक सुबखार के ऑटो का चालक करीब 11:00 बजे रात में मण्डला स्टैण्ड तरफ से तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक लाया और उनके ऑटो में ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया, जिससे उन्हे चोट आई थी।

03. फरियादी की शिकायत के आधार पर थाना डिण्डौरी में रिपोर्ट लेख की गई थी, जिसका अपराध क्रमांक 62/2017 कायम की जाकर आहतगण को ईलाज के लिए चिकित्सालय भेजा गया था। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान फरियादी की निशादेही पर घटना स्थल

का मौका नक्शा बनाया जाकर साक्षियों के कथन अंकित किए गए थे। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया था। आहत भागरती को अस्थि भंग कारित होने से आहत के चिकित्सकीय दस्तावेज प्राप्त होने पर धारा 338 भा.द.सं. एवं वाहन का परमिट एवं बीमा नही होने से धारा 66/192, 146/196 मोटरयान अधिनियम की वृद्धि की गई थी। अभियुक्त को गिरफतार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया था। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर प्रकरण निराकरण हेतु न्यायालय में पेश किया था।

04. अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका–1 में आरोपित अपराध कारित किए जाने से इंकार किया गया एवं रंजिशन झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया गया।

05. प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उसका धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के तहत परीक्षण किया गया। उसे बचाव में प्रवेश कराया गया तो उसकी ओर से कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया गया।

06. **प्रकरण के अंतिम निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न है:–**

01. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 03.02.2017 को समय 11:00 बजे आरक्षी केन्द्र डिण्डौरी के अंतर्गत ग्राम खाम्हा के लोकमार्ग में वाहन ऑटो क्रमांक एम.पी.–52 आर./0829 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुये सामने से आ रहे ऑटो में टक्कर मारकर उसमें बैठे सवारियों एवं आम लोगों का मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?

02. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त ऑटो को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुये सामने से आ रहे ऑटो में टक्कर मारकर उसमें बैठे आहत रामबाई, चमेलीबाई, धानूसिंह, नरबदिया, विद्याबाई, विपिन एवं पूजा को साधारण उपहति कारित किया?

03. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त ऑटो को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुये सामने से आ रहे ऑटो में टक्कर मारकर उसमें बैठे आहत भागरती को गंभीर उपहति कारित किया?

04. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त ऑटो को परमिट के बिना एवं बीमा के बिना चलाया?

05. दोषमुक्ति या दण्डादेश?

(सकारण निष्कर्ष)

विचारणीय प्रश्न क. 01 लगायत 3 का सकारण निष्कर्ष

07. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने के कारण तथा साक्ष्य की पूनरावृत्ति को रोकने के लिए तीनों प्रश्नों को निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. **आहत साक्षी भागवती {अ.सा.क.1}** का अभिसाक्ष्य है कि वह अनुपस्थित आरोपी को नही पहचानती है। उसके न्यायालयीन कथन से तीन साल पहले रात के 8:00 बजे की बात है वह डिण्डौरी से खाम्हा ऑटो से नरबदिया, चमेली बाई, रामबाई, और उसका बेटा विपिन तथा अन्य लोग जा रहे थे। उस दिन नर्मदा जयंती होने के कारण ऑटो बायपास तरफ से जा रहा था, उनके ऑटो के सामने से एक ऑटो तेजी

से आया और उनकी ऑटो को ठोकर मार दिया था, जिससे ऑटो पलट गया था। ऑटो पलटने से उसके दाये हाथ में चोट आयी थी तथा वह बेहोश हो गयी थी। ऑटो में बैठे रामबाई, चमेली बाई, नरबदिया बाई और विपिन को चोट आयी थी।

09. **आहत साक्षी नरबदिया बाई {अ.सा.क्र.2}** का अभिसाक्ष्य है कि वह अनुपस्थित अभियुक्त को नही पहचानती है। घटना लगभग 4—5 साल पहले रात के 8:00 बजे डिण्डौरी से वापस ग्राम खाम्हा जा रहे थे, वे लोग भागवती, चमेली, रामबाई, विपिन के साथ ऑटो में बैठे थे। बायपास रोड के पास विष्णु मरवी की ऑटो तेजगति से आयी और कैलास के ऑटो जिसमें वे लोग बैठे हुये थे, को ठोकर मार दिया, जिससे वह गिर गयी थी, ऑटो से गिरने से उसे कमर, दोनों पैर के घुटने में चोट आयी थी, उन लोगों के साथ वालों को भी चोटे आयी थी। उनका ईलाज जिला चिकित्सालय में हुआ था, पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

10. **आहत साक्षी चमेली बाई {अ.सा.क्र.3}** का अभिसाक्ष्य है कि वह अनुपस्थित अभियुक्त विष्णु को नही पहचानती है। घटना करीब 4—5 साल पहले की है। रात के लगभग 8:00 बजे वह, नरबदिया, रामबाई, भागवती व विपिन के साथ ऑटो से डिण्डौरी से ग्राम खाम्हा जा रही थी तभी बायपास रोड पर डिण्डौरी में आने वाले ऑटो ने सामने से टक्कर मार दिया था। जिससे उसे कंधे, पीठ और कोहनी में चोट आयी थी। रामबाई और विपिन को चोट लगी थी तथा भागवती का हाथ टूट गया था, जिससे उसके हाथ में राड लगी थी। उनका ईलाज

सरकारी अस्पताल डिण्डौरी में हुआ था। दोनों ऑटो तेज चल रहे थे, लेकिन सामने वाली ऑटो ज्यादा तेज थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

11. **फरियादी साक्षी कोदूलाल {अ.सा.क.4}** का अभिसाक्ष्य है कि वह आरोपी विष्णु मरावी को नही पहचानता है। उसे घ ाटना की तारीख याद नही है, किन्तु घटना वर्ष 2017 की होकर डिण्डौरी में पुरानी बस्ती की है। घटना रात्रि के 11 से 12 बजे के मध्य की है। घटना दिनांक को वह अपनी बेटी कौशल्या को डिण्डौरी में उसके ससुराल पहुंचाने आये थे। डिण्डौरी से वापस जाते समय पुरानी डिण्डौरी के पास पहॅुचे थे, तभी सामने से आ रही एक अन्य ऑटो जिसका चालक विष्णु मरावी था, उसने उनकी ऑटो को टक्कर मार दिया था। जिससे उसकी बेटी भागवती का बांया हाथ टूट गया था तथा उसकी मां राम बाई को सीने में तथा उसकी भाई बहू को दाहिने पैर में चोट लगी थी।

12. **फरियादी साक्षी कोदूलाल {अ.सा.क.4}** का अभिसाक्ष्य है कि घटना के समय आरोपी वाहन को कैसे चला रहा था उसे जानकारी नही है। उसे घटना कारित करने वाले वाहन ऑटो का क्रमांक याद नही है। घटना के पश्चात उसने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली डिण्डौरी में की थी, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्र.पी.–1** है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। घटना के पश्चात पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा उसके समक्ष तैयार किया था जो **प्र.पी.–2** है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछताछ कर उसके कथन लेखबद्ध किये थे।

13. **विवेचक साक्षी प्रवीण खम्परिया {अ.सा.क.5}** का अभिसाक्ष्य है कि वह दिनांक 04.02.2017 को थाना कोतवाली डिण्डौरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना कोवताली जिला–डिण्डौरी का अपराध क्रमांक 62/17 अंतर्गत धारा 279, 337 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उक्त दिनांक को ही घटना स्थल पर पहुंचकर प्रार्थी गोदूलाल राठौर के बताये अनुसार घटना स्थल का मौका नक्शा **प्र.पी.–2** तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान उक्त दिनांक को ही प्रार्थी कोदूलाल, आहत, भागवती बाई, साक्षी चमेली बाई एवं भानूसिंह, नरबदिया बाई, रामबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था।

14. विवेचना के दौरान दिनांक 06.02.2017 को वाहन स्वामी विष्णूसिंह मरावी को धारा 133 मोटरयान अधिनियम की नोटिस तामील कराया था जो कि **प्र.पी.–3** है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान उक्त दिनांक को ही आरोपी विष्णूसिंह के कब्जे से एक काले रंग की ऑटो जिसका क्रमांक एम.पी.52 आर.0829 तथा उक्त ऑटो का रजिस्ट्रेशन एवं आरोपी वाहन चालक विष्णु मरावी का ड्रायविंग लायसेंस साक्षी अशोक कुमार के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक **प्र.पी.–4** तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

15. विवेचना के दौरान उक्त दिनांक को ही आरोपी विष्णु को उक्त साक्षीगणों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफतारी पत्रक **प्र.पी.–5** तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग उसके एवं बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आरोपी को जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया था। विवेचना के दौरान आहत को गंभीर चोटे आने पर एवं घटना कारित वाहन का परमिट व बीमा नही होने पर उसके द्वारा धारा 338 भा.द.स. एवं धारा 146/196 व 66/192 मोटरयान अधिनियम का इजाफा कर न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया था।

16. **चिकित्सक साक्षी डॉ. देवेन्द्र सिंह मरकाम {अ.सा.क. 6}** का अभिसाक्ष्य है कि वह दिनांक 03.02.2017 को जिला चिकित्सालय डिण्डौरी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को 11:36 पी.एम. को आरक्षक क्रमांक 367 कमलेश के द्वारा **आहत राम बाई** को मुलाहिजा हेतु उसके समक्ष लाया गया था। उसके द्वारा मुलाहिजा किये जाने पर निम्नलिखित चोटे पायी गई थी। चोट क्र. 1 मस्तक के दाहिने भाग पर सुजन था जिसका आकार 3 इंच X 2 इंच था। चोट क्र.2 दाहिने पैर के घुटने के नीचे सुजन थी जिसका आकार 3.5 इंच X 2.5 इंच थी। दोनों चोटे कठोर एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी, चोट लगभग एक घण्टे के अन्दर की होना संभावित थी। दोनों चोटों का समुचित उपचार कर एक्सरे की सलाह दी गई थी। उसके अभिमतानुसार एक्सरे की रिपोर्ट के पश्चात् दिया जा सकता था। मेडिकल रिपोर्ट **प्र.पी.–6** है जिसके पर उसके हस्ताक्षर है।

17. **चिकित्सक साक्षी डॉ. देवेन्द्र सिंह मरकाम {अ. सा.क.6}** का आगे अभिसाक्ष्य है कि उक्त दिनांक को ही **आहत भागवती बाई** को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था परीक्षण के उपरांत निम्न चोट पायी गई। चोट क. 1 दाहिने भुजा में सुजन एवं दर्द था। चोट क. 2 बायें घुटने में छिला हुआ घाव था जिसका आकार 2 इंच X 1 इंच था। चोट क. 3 दाहिने घुटने में छिला हुआ घाव था जिसका आकार 2 इंच X 1 इंच था। तीनों चोटे किसी बोथरी एवं कठोर वस्तु से आना संभावित प्रतीत हो रही थी और एक घण्टे के भीतर की होना संभावित थी तीनों चोटों का समुचित उपचार किया गया और चोट क्रमांक–1 को एक्सरे कराने की सलाह दी गई। उसके अभिमतानुसार चोट क्रमांक–2, एवं 3 साधारण प्रकृति की थी एवं चोट क्रमांक–1 का अभिमत एक्सरे रिपोर्ट के पश्चात् दिया जा सकता था। मेडिकल रिपोर्ट **प्र.पी.–7** है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

18. **चिकित्सक साक्षी डॉ. देवेन्द्र सिंह मरकाम {अ.सा. क.6}** का आगे कथन है कि **आहत चमेली** पति कोदूलाल को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण के लिए लाया गया था। चिकित्सीय परीक्षण करने पर किसी प्रकार की बाहरी चोट नही पायी गई थी। आहत के शरीर में दर्द की शिकायत थी। उसका समुचित उपचार किया गया था, मेडिकल रिपोर्ट **प्र.पी.–8** है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। **आहत धानूसिंह** को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण करने पर शरीर पर किसी प्रकार का बाहरी चोट नही पायी गयी थी आहत शरीर पर दर्द की

शिकायत कर रही थी, जिसका समुचित उपचार किया गया। मेडिकल रिपोर्ट **प्र.पी.–9** है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

19. **चिकित्सक साक्षी डॉ. देवेन्द्र सिंह मरकाम {अ.सा. क.6}** का आगे कथन है कि **आहत नर्मबदिया पति गोविंदा,** को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। जिसके बायें भुजा के अग्र भाग में छिला हुआ घाव था जिसका आकार 2 इंच X 1 इंच था। चोट क.2 में दाये घुटने में छिला हुआ घाव जिसका आकार 1 इंच X 1 इंच था। चोट कमांक–3 आहत के बाये घुटनें में छिला हुआ घाव था जिसका आकार 2 इंच X 1 इंच था। तीनों चोटे कठोर एवं बोथरी वस्तु से आना संभावित थी तथा तीनों चोटे एक घण्टे के भीतर की होना संभावित थी। सभी चोटे साधारण प्रकृति की थी एवं 03–05 दिनों के अन्दर ठीक हो सकती थी। मेडिकल रिपोर्ट **प्र.पी.–10** है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। **आहत विद्या बाई पिता ओमप्रकाश**, को उसके द्वारा परीक्षण करने पर निम्न चोट पायी गयी थी। चोट कमांक–1 बाये ऐड़ी पर कटा–फटा हुआ घाव था जिसका आकार 2 इंच X 1 इंच था। चोट क. 2 दाहिने एड़ी पर छिला हुआ घाव था जिसका आकार 0.5 इंच X 0.5 इंच था। चोट क.3 मस्तक के दाहिने भाग में छिला हुआ घाव था जिसका आकार 0.5 इंच X 0.5 इंच थी। तीनों चोटे किसी कठोर एवं भौतरी वस्तु से आना संभावित थी सभी चोटों का समुचित उपचार किया गया। सभी चोटे साधारण प्रकृति की थी और लगभग 03–05 दिनों के अन्दर ठीक हो सकती थी। मेडिकल रिपोर्ट **प्र.पी.–11** है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

20. **चिकित्सक साक्षी डॉ. देवेन्द्र सिंह मरकाम {अ.सा. क.6}** का आगे कथन है कि आ**हत विपीन पिता कन्हैया,** का उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के दौरान पाया गया कि गाल के दाहिने भाग पर छिला हुआ घाव था जिसका आकार 0.5 इंच X 0.5 इंच था जो कठोर एवं भौतरी वस्तु से आना संभावित थी जो लगभग एक घण्टे के अन्दर की थी चोट का समुचित उपचार किया गया। मेडिकल रिपोर्ट **प्र.पी.–12** है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। **आहत पूजा पिता गोंविदा,** का उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के दौरान निम्न चोटे पायी गई थी। चोट क. 1 बाये पैर पर छिला हुआ घाव पाया गया था जिसका आकार 1 इंच X 0.5 इंच पाया गया था। चोट क. 2 दाये पैर पर छिला हुआ घाट पाया गया था जिसका आकार 1 इंच X 0.5 इंच पाया गया था। चोट क. 3 आहत के नाक के दाहिने भाग पर सुजन था जिसका आकार 1.5 इंच X 0.5 इंच था। उपरोक्त तीनों चोटे कठोर एवं बोथरी वस्तु से आना संभावित हो रही थी तथा एक घंटे के भीतर की होना संभावित थी तीनों चोटों का समुचित उपचार किया गया। अभिमत चोट क. 1 व 2 साधारण प्रकृति की थी और चोट कमांक 3 का अभिमत एक्सरे रिपोर्ट के पश्चात दिया जा सकता था। मेडिकल रिपोर्ट **प्र.पी. –13** है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

21. **चिकित्सक साक्षी डॉ. देवेन्द्र सिंह मरकाम {अ.सा. क.6}** का आगे कथन है कि आहत भागरती बाई की एक्सरे रिपोर्ट में दाहिने भुजा के उपरी भाग में अस्थिभंग पाया गया था। मेडिकल रिपोर्ट **प्र.पी.–14** है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। आहत राम बाई

पति चैतु की एक्सरे रिपोर्ट में दाहिने पैर एवं घुटने पर कोई अस्थिभंग नही पायी गई थी। मेडिकल रिपोर्ट **प्र.पी.–15** है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आहत नरबदिया बाई की एक्सरे रिपोर्ट के दाहिने पैर के घुटने में अस्थिभंग पायी गई तथा बांये घुटने के एक्सरे में किसी प्रकार की अस्थिभंग नही पायी गई थी। मेडिकल रिपोर्ट **प्र.पी.–16** है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

22. **अभियोजन साक्षी विद्याबाई {अ.सा.क.7}** का अभिसाक्ष्य है कि वह विष्णु मरावी को पहचानती है, क्योंकि वह ऑटो चालक है। उसे घटना की तारीख याद नही है। घटना पुरानी डिण्डौरी की है, घटना दिनांक को 8–10 लोग खाम्हा से डिण्डौरी ऑटो में बैठकर कार्यक्रम में आये हुए थे। जहां उनकी ऑटो खड़ी थी तभी सामने से एक अन्य ऑटो के चालक ने ऑटो को तेजगति से चलाकर उनकी ऑटो को टक्कर मार दिया था, उक्त घटना में उसे बाये पैर में, कंधे में तथा अन्य जगहों में चोट आयी थी तथा ऑटों में सवार सभी यात्रियों को भी चोटे आयी थी। जिसके पश्चात उन्हे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय डिण्डौरी ले जाया गया था।

23. **अभियोजन साक्षी पूजा गौतम {अ.सा.क.8}** का अभिसाक्ष्य है कि वह विष्णु मरावी को नही पहचानती है, किन्तु उसे इस बात की जानकारी है कि वह घटना कारित करने वाले वाहन का चालक है। उसे घटना की तारीख याद नही है। घटना 8–9 वर्ष पुरानी होकर पुरानी डिण्डौरी की है। घटना के समय 10–12 लोग ऑटो में बैठकर डिण्डौरी से ग्राम खाम्हा जा रहे थे। पुरानी डिण्डौरी के पास उनकी

ऑटो खड़ी थी, तभी सामने से आ रही दूसरी ऑटो के चालक ने ऑटो को तेजगति से चलाकर उनकी ऑटो को टक्कर मार दी थी। उसे घटना कारित करने वाले वाहन का क्रमांक याद नही है, उक्त घटना में उसे दोनों पैरों में, दाहिने हाथ एवं नाक के पास चोट आयी थी। उक्त घटना में ऑटो में बैठे सभी लोगों को चोटे आयी थी। घटना के पश्चात घटना स्थल पर वह बेहोश हो गई थी, जब उसे होश आया तो वह जिला चिकित्सालय डिण्डौरी में थी।

24. **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (7—काउंटस), 338** के संबंध में उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य को विचार में लिया जावे तो **चिकित्सक साक्षी डॉ. देवेन्द्र सिंह मरकाम {अ.सा. क.6}** के कथनानुसार आहत चमेली बाई, धानूसिंह, भागरती बाई, विद्या बाई, विपिन, पूजा उक्त सभी आहतगण की चोटे साधारण प्रकृति की थी। उक्त सभी आहतगण के संबंध में दिया गया मेडिकल रिपोर्ट **प्र.पी. —8 लगायत 14** है।

25. आहत राम बाई एवं आहत नरबदिया बाई को गंभीर प्रकृति की चोटे आयी थी, उनका मेडिकल रिपोर्ट **प्र.पी.—15 एवं प्र.पी. —16** है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। चिकित्सक साक्षी के अनुससार कुछ आहतगण को साधारण प्रकृति की चोटे थी एवं आहत रामबाई एवं नरबदिया बाई को गंभीर प्रकृति की चोटे थी। उक्त साक्षी ने उसके प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहतगण ने उसे गाडी से गिरने के बारे में बताया था, किन्तु किस गाडी से गिरे थे उन्होने नही बताया था। जिससे यह दर्शित होता है कि आहतगण को गंभीर एवं

साधरण प्रकृति की चोटे थी।

26. अब न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न होता है, कि ''क्या उक्त चोटे आरोपी विष्णु द्वारा उसकी ऑटो को गंभीर एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर टक्कर मारने से आहतगण को चोटे आयी थी। उक्त संबंध मे **अभियोजन साक्षी भागवती {अ.सा.क.1}** ने उसके न्यायालयीन साक्ष्य में यह अभिकथन किया है कि नर्मदा जयंती के दिन वे लोग ऑटो से डिण्डौरी से खाम्हा जा रहे थे, तभी उनकी ऑटो के सामने से एक ऑटो तेजी से आयी और उन्हे टक्कर मारने के कथन किये हैं। टक्कर लगने के कारण वह बेहोश हो गयी थी, किन्तु प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि, जिस ऑटो में वे लोग बैठे थे वह ऑटो पलट गयी थी। उसने इस तथ्य से इंकार किया है कि वह ऑटो का नंबर एवं चालक का नाम नही जाती है।

27. **अभियोजन साक्षी नरबदिया बाई{अ.सा.क.2}** ने भी उसके न्यायालयीन साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि आरोपी विष्णु की ऑटो तेजगति से आयी और जिस ऑटो में वे लोग बैठे थे, उस ऑटो को टक्कर मार दी थी। किन्तु उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना कारित करने वाले वाहन के चालक को वह नही जानती है। घटना के दिन नर्मदा जयंती थी, जिस कारण बहुत भीड–भाड थी। उसने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जिस ऑटो ने उसे टक्कर मारा उसे उसने नही देखा था।

28. **आहत साक्षी चमेली बाई{अ.सा.क.3}** ने भी उसके न्यायालयीन साक्ष्य में टक्कर मारने के संबंध में कथन किये है, किन्तु

प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि ऑटो पलटने के कारण उसे चोट आयी थी। इसी प्रकार आहत **विद्या बाई{अ.सा.क.7}** ने उसके न्यायालयीन साक्ष्य में ऑटो की चालक ने उनकी ऑटो में टक्कर मार दी थी, जिसके कारण उसे बाये पैर, कंधे में तथा अन्य जगहों पर चोटे आयी थी। उसने उसके प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे ऑटो का नंबर नही मालूम है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि जिस ऑटो से वे लोग आ रहे थे, वह खडी थी तथा वे लोग उतरकर बाजू में खडे थे। घटना कारित ऑटो का उसे नंबर नही मालूम और ना ही वह ऑटो चालक को पहचानती है।

29. इसी प्रकार के कथन **आहत पूजा गौतम {अ.सा.क.8}** ने भी किये है। जहॉ तक **प्रार्थी कोदूलाल मरावी {अ.सा.क.4}** के कथनों पर विचार किया जावे तो उक्त साक्षी ने उसके न्यायालयीन साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि वह आरोपी विष्णु मरावी को नही पहचानता है, उसे घटना की तारीख याद नही है। घटना दिनांक को वह उसकी बेटी कौशल्या को डिण्डौरी में उसकी ससुराल पहुंचाने आया था वे लोग ऑटो से जा रहे थे, एक अन्य ऑटो के चालक ने उनकी ऑटो में टक्कर मार दिया था, जिस कारण उसकी बेटी का हाथ टूट गया था और अन्य लोगों को चोटे आने के संबधं में कथन किये है तथा उसने उसके न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि, आरोपी वाहन को कैसे चला रहा था, उसे जानकारी नही है और वह उसका नंबर भी नही जानता है। उसने अभियोजन अधिकारी के इस सूझाव से इंकार किया है कि ऑटो का चालक ऑटो को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक

चला रहा था। प्रकरण में परीक्षित किसी भी साक्षी ने ऑटो किस गति से चल रहा था, इसके संबंध में कोई कथन नही किये है और ना ही घटना कारित करने वाले ऑटो को कौन चला रहा था, उसकी पहचान भी किसी भी साक्षीगणों ने नही की है।

30. **विवेचक अधिकारी प्रवीण खम्परिया{अ.सा.क.5}** ने उसके प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि साक्षी कोदूलाल ने उसे वाहन का नंबर एवं वाहन चालक का नाम नही बताया था और ना ही अन्य साक्षियों ने वाहन चालक एवं उसका नंबर नही बताया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी एवं वाहन के संबंध में बाद में जानकारी होने पर उसने अभियुक्त को आरोपी बनाया था। जिससे यह दर्शित होता है कि घटना में परीक्षित किसी भी साक्षी ने घटना कारित वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये एक्सीडेंट करने के संबधं में कथन नही किये है और ना ही ऑटो चालक की पहचान उनके द्वारा की गई है और ना ही गाडी का नंबर उन्हे पता है।

31. प्रकरण में किसी भी साक्षी ने घटना कारित वाहन कैसा चल रहा था इस संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं और न ही ऐसा कोई कथन किया है, जिससे यह दर्शित हो कि अभियुक्त की लापरवाही के कारण उक्त घटना घटित हुई है। न्यायदृष्टांत **म.प्र. राज्य बनाम कन्हैयालाल 2010 (एम.पी.डब्ल्यू.एन.) 119** अवलोकनीय है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी अभियोजन साक्षी ने उल्लंघनकारी यान की गति और चालक की उपेक्षावान कार्य को प्रकट नहीं किया है, दोषसिद्धी अभिलिखित नहीं की जा सकती। अतः

अभियुक्त के विरूद्ध **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(7 काउंटस) 338 अप्रमाणित** पाया जाता है।

//विचारणीय प्रश्न क0–04 का सकारण निष्कर्ष//

32. प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध **मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192(क), 146/196** विवेचना के दौरान बढ़ाई गयी है। इस संबंध में प्रकरण के **विवेचक साक्षी प्रवीण खम्परिया (अ.सा.क.5)** ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का बीमा एवं परमिट न होने से अभियुक्त चालक के विरूद्ध धारा 146/196 एवं धारा 66/192क मोटर यान अधिनियम का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण के अन्य किसी भी अभियोजन साक्षी ने अपनी साक्ष्य में उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में कोई कथन नही किये है। अभिलेख पर आयी साक्ष्य से प्रकरण में वाहन ऑटो क्रमांक एम.पी.52 आर.–0829 की संलिप्ता नही पायी गई है और न ही यह प्रमाणित पाया गया है कि अभियुक्त द्वारा उक्त वाहन को घटना दिनांक समय व स्थान पर चलाया जा रहा था।

33. उपरोक्त परिस्थितियों में यह प्रमाणित नही पाया जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन ऑटो क्रमांक एम.पी.52 आर–0829 को बिना बीमा एवं बिना परमिट अथवा परमिट की शर्तों के उल्लंघन में लोक मार्ग पर

परिचालित किया तथा यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने स्वामित्व के उक्त वाहन को बिना बीमा एवं बिना परमिट के अथवा परमिट की शर्तों के उल्लंघन में लोक मार्ग पर परिचालित किया।

//अंतिम आदेश//

34. अतः प्रकरण में आई साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त **विष्णु मरावी पिता श्रीराम मरावी उम्र–30 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 4 बड़ा सुबखार डिण्डौरी, थाना डिण्डौरी, जिला–डिण्डौरी (म.प्र.)** को **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(7 काउंटस), 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192(क), 196/146** के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता हैं।

35. अभियुक्त से धारा 481 बी.एन.एस.एस. की जमानत को छोड़कर शेष जमानत व मुचलके भारमुक्त किया जाता है।

36. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति **वाहन ऑटो कमांक एम.पी.52/आर0–0829** को उसके प्रथम दृष्ट्या वाहन स्वामी **विष्णु मरावी पिता श्रीराम** द्वारा सुपुर्दगी पर प्राप्त की गई है। अतः सुपुर्दगीदार के पक्ष में सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

37. यदि अभियुक्त अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में रहा हो तो बी.एन.एस.एस. की धारा 468 के तहत प्रमाण–पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न की जावे।

38. निर्णय पी.डी.एफ. में तब्दील कर डिजिटल हस्ताक्षर उपरांत नियमानुसार सी0आई0एस0 में अपलोड किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(श्रीमती कमला उइके)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डिण्डौरी जिला डिण्डौरी (म.प्र.)

(श्रीमती कमला उइके)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डिण्डौरी जिला डिण्डौरी (म.प्र.)

KAMLA UIKEY

Digitally signed by KAMLA UIKEY
Date: 2026.08.13 17:50:31 +0530